



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

ब्लॉक वर्ष \_\_\_\_\_ के लिए अवकाश यात्रा रियायत बिल

Leave Travel Concession Bill for the Block Year \_\_\_\_\_

ध्यान दें: यह बिल दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए - एक भुगतान के लिए और दूसरी कार्यालय प्रति के रूप में  
भाग-क (सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाना है)

NOTE: This bill should be prepared in DUPLICATE- one for payment and the other as office copy  
**PART-A (To be filled by Government Servant)**

1. नाम: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

2. पदनाम: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

3. वेतन बैंड रु. \_\_\_\_\_ एजीपी/ग्रेड वेतन \_\_\_\_\_ रुपये, भुगतान \_\_\_\_\_ रुपये

Pay Band Rs. \_\_\_\_\_ AGP/GP Rs. \_\_\_\_\_ Pay Rs. \_\_\_\_\_

4. मुख्यालय: \_\_\_\_\_

Headquarters: \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक स्वीकृत अवकाश की प्रकृति और अवधि

Nature & Period of leave sanctioned from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

6. परिवार के उन सदस्यों का विवरण जिनके संबंध में अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया गया है:

Particulars of members of family in respect of whom the LTC has been Claimed:

क्रमांक Sr. No.	नाम Name	आयु Age	कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with Employee

7. सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य द्वारा की गई यात्रा (यात्राओं) का विवरण।

Details of Journey(s) performed by Government Employee and the member of his/her family



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रस्थान Departure		आगमन Arrival		दूरी किलोमीटर में  Distance in Kilometers	यात्रा का माध्यम और प्रयुक्त आवास की श्रेणी  Mode of Travel and class of accommodation used	किराये की संख्या  No. of fares	किराया भुगतान रु.  Fair Paid in Rs.
दिनांक एवं समय Date & Time	से From	दिनांक एवं समय Date & Time	को To				

8. अग्रिम राशि, यदि कोई हो, \_\_\_\_\_ रु.

Amount of advance, if any, drawn Rs. \_\_\_\_\_

9. यात्रा (यात्राओं) का विवरण, जिसके लिए सरकारी कर्मचारी जिस श्रेणी का हकदार है उससे उच्च श्रेणी के आवास का उपयोग किया गया हो। (मंजूरी संख्या और तिथि बताना अनिवार्य है):

Particulars of journey (s) for which higher class of accommodation than the one to which the government servant is entitled was used. (Sanction No. and Date to be given):

जगह Place		परिवहन का साधन Mode of Conveyance	जिस श्रेणी के हकदार है Class which entitled	जिस श्रेणी में वास्तव में यात्रा की Class which actually Travelled	किराये की संख्या रु. No. of Fares Rs.	किराया भुगतान रु. Fare Paid Rs.
से From	को To					



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

10. रेल माध्यम से जुड़े स्थानों की सड़क मार्ग से की गई यात्रा/यात्राओं का विवरण:

Details of Journey (s) performed by road between places connected by rail:

स्थान का नाम Name of Place		परिवहन का साधन Mode of Conveyance	जिस श्रेणी के लिए हकदार है Class which entitled
से From	को To		

11. प्रमाणित किया जाता है कि:

Certified that the:

(i) उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

Information as given above is true to the best of my knowledge and belief.

(ii) मेरे पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं/मेरे पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं। उनके द्वारा किसी भी संबंधित ब्लॉक वर्ष \_\_\_\_\_ में सेवा और रियायत का लाभ नहीं उठाया गया है।

That my husband/wife is not employed in Govt. service/that my husband/wife is employed in Govt. Service and the concession has not been availed of by him/her of any of the concerned block year \_\_\_\_\_

(iii) मैंने दो वर्ष \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ के ब्लॉक के संबंध में अपने या अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए अब तक कोई अन्य दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

I have not submitted any other claim so far for Leave Travel Concession in the respect of myself or my family members in respect of block of two years \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

(iv) मैंने पहले ही \_\_\_\_\_ बच्चों और मेरे/मेरी पत्नी के साथ की गई यात्रा के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त कर लिया है।

I have already drawn T.A. for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife with \_\_\_\_\_ Children

(v) मैंने वर्ष \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ के दो वर्ष के ब्लॉक के संबंध में मेरे/मेरी पत्नी और \_\_\_\_\_ बच्चों/मेरे परिवार के सदस्यों \_\_\_\_\_ के साथ की गई यात्रा के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत के लिए पहले से ही यात्रा भत्ता आहरित नहीं किया है।

I have not already drawn T.A. for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife with \_\_\_\_\_ children/my \_\_\_\_\_ family members in respect of block of two year \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_



# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

(vi) मैंने पहले ही 20 \_\_\_\_\_ और 20 \_\_\_\_\_ के दो वर्ष के ब्लॉक के संबंध में वर्ष \_\_\_\_\_ में मेरे द्वारा की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ता आहरित कर लिया है। यह दावा वर्ष 20 \_\_\_\_\_ में मेरे द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है। यह प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित ब्लॉक में गृह नगर जाने के लिए स्वीकार्य रियायत के लिए है क्योंकि मेरे परिवार के सभी सदस्य कार्यस्थल से दूर रह रहे हैं।

I have already drawn T.A. for the Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me in the year \_\_\_\_\_ in respect of block of two years \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ this is against the concession admissible once every year in a prescribed block for visiting home to \_\_\_\_\_ as all the members of my family are living away from place of the work.

(vii) यह यात्रा मेरे द्वारा मेरी पत्नी, \_\_\_\_\_ बच्चों/मेरे परिवार के \_\_\_\_\_ सदस्यों के साथ घोषित गृहनगर अर्थात् \_\_\_\_\_ के लिए की गई है।

This journey has been performed by me with my wife with \_\_\_\_\_ children/my \_\_\_\_\_ family members to the declared hometown viz. \_\_\_\_\_

(viii) मेरे पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

मेरे पति/पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनके द्वारा न तो स्वयं के लिए अथवा परिवार के किसी सदस्य के लिए पृथक रूप से दो वर्ष के संबंधित ब्लॉक में रियायत का उपयोग नहीं किया गया है।

That my husband/wife is not employed in the government.

That my husband/wife is employed in the government service and the concession has not been availed of by him/her separately from himself/herself or any of the family members for the concerned block of two years.

(ix) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति, जिनके लिए मैंने अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया है,

\_\_\_\_\_ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि का नाम) में कार्यरत है। यह संस्थान अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन मेरी पत्नी/पति ने इसका उपयोग नहीं किया है और वह इस संबंध में अपने नियोक्ता से कोई दावा नहीं करेंगे/करेंगी।

Certified that my wife/husband for whom L.T.C. is claimed by me is employed in \_\_\_\_\_ (Name of the public sector Undertaking/Corporation/Autonomous Body etc.) Which provides Leave Travel Concession facilities, but he/she has not preferred and will not prefer any claim in this behalf to his/her employer.

(x) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति, जिनके लिए मैंने अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय/पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित स्थानीय निकाय आदि में कार्यरत नहीं हैं जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार को अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएं प्रदान करता है।

Certified that my wife/husband for whom L.T.C. is claimed by me is not employed in any Public Sector Undertaking/Corporation/Autonomous Body etc. financed wholly or partly by the Central Government or Local Body which provides L.T.C. facilities to its employees and their families.

दिनांक:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

**Date:**

**Signature of Government Employee**

भाग-ख (प्राधिकार एवं स्थापना विभाग द्वारा भरा जाना है)

अवकाश यात्रा रियायत प्रमाण-पत्र

**PART-B (To be filled by A & E Department)**  
**L.T.C. CERTIFICATE**

- (i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_  
(सरकारी कर्मचारी का नाम) जावक यात्रा की तिथि तक एक वर्ष या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवारत रहे/रही हैं।  
Certified that Sh./Smt./Miss. \_\_\_\_\_ (Name of the Govt. Employee) has rendered continuous service for one year or more on the date of commencing outward journey.
- (ii) प्रमाणित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के दिनांक 11 अक्टूबर 1956 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/1/55-Ests. (A) के पैरा 11 के पैरा 3 के तहत आवश्यक प्रविष्टियाँ श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ की सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई हैं।  
Certified that necessary entries as required under Para 3 of the Ministry of Home Affairs O.M. No. 43/1/55-Ests. (A) para 11. Dated 11<sup>th</sup> October 1956 have been made in the service book of Sh./Smt./Miss. \_\_\_\_\_
- (iii) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज कर दी गई हैं।  
Certified that the necessary entries have been made in the Service Book of Sh./Smt./Miss. \_\_\_\_\_



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
**Signature of the Officer authorized to attest entries in the Service Book**

भाग- ग (बिल अनुभाग द्वारा भरा जाना है)  
**PART-C (To be filled by Bill Section)**

1. अवकाश यात्रा रियायत के कारण निवल हकदारी \_\_\_\_\_ रूपये  
जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है: \_\_\_\_\_  
The net entitlement on account of Leave Travel Concession works out to Rs. \_\_\_\_\_  
As detailed Below: \_\_\_\_\_

(a) रेलवे/हवाई/बस/स्टीमर किराया \_\_\_\_\_ रूपये  
Railway/Air/Bus/Steamer Fare Rs. \_\_\_\_\_  
(b) घटाएं- वाउचर के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि  
क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ रूपये  
Less amount of advance drawn vide voucher  
No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ Rs. \_\_\_\_\_

शुद्ध राशि: रु. =====  
Net Amount: Rs. =====

2. व्यय को \_\_\_\_\_ से नामे (डेबिट) किया जाता है।  
The expenditure is debited to \_\_\_\_\_.

संबंधित सहायक के हस्ताक्षर    अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर    आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
**Sign of Dealing Assistant                      Sign of S.O.                      Sign of D.D.O.**

प्रतिहस्ताक्षरित  
नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर  
**Countersigned**



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

Signature of Controlling Officer

यात्रा पूरी करने के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र  
(दिनांक 31दिसंबर, 2021 का कार्यालयी ज्ञापन संख्या 19024/03/2021- E.IV का संलग्नक)  
**Self-declaration Certificate for Completion of Journey**  
(Annexure to O.M. No. 19024/03/2021-E.IV dated 31<sup>st</sup> December, 2021)

1. मैं (कर्मचारी का नाम \_\_\_\_\_) एतद्द्वारा  
घोषणा और प्रमाणित करता/करती हूँ कि:  
I (Name of the employee \_\_\_\_\_)  
hereby declare and certify that:

2. मैंने वास्तव में यात्रा/प्रशिक्षण के उद्देश्य से दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक  
\_\_\_\_\_ को जावक यात्रा और दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक  
\_\_\_\_\_ को वापसी यात्रा की है।

I have actually performed the outward journey from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ on  
\_\_\_\_\_ (date) and return journey from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ on  
\_\_\_\_\_ (date) for the purpose of Tour/Training.

या / OR

3. मैंने/हमने स्थानांतरण/अवकाश यात्रा रियायत/सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से वास्तव में \_\_\_\_\_ (दिनांक) को  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक जावक यात्रा और \_\_\_\_\_ (दिनांक) को  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक वापसी यात्रा की है। स्वयं और परिवार के सदस्यों, जिन्होंने सरकारी  
कर्मचारी के साथ या अलग से यात्रा की है, का विवरण इस प्रकार है:

I/We have actually performed the onward journey from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ on  
\_\_\_\_\_ (date) and return journey from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ on  
\_\_\_\_\_ (date) for the purpose of Transfer/LTC/Retirement. The particulars of the self and  
family members who have performed journey either with the Government employee or  
separately are as under:

क्रमांक Sr. No.	नाम Name	आयु Age	कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with Employee



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

4. यदि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त घोषणा किसी भी स्तर पर सत्य नहीं पाई जाती है, तो मैं समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

In case the above declaration given by me is not found true at any stage, I shall be liable to disciplinary action under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time.

(हस्ताक्षर)

(Signature)

सरकारी कर्मचारी का नाम: \_\_\_\_\_

Name of the Government Servant: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

मंत्रालय /विभाग का नाम \_\_\_\_\_

Name of the Ministry/Department \_\_\_\_\_

सेवा में,

To,

प्रशासन/स्थापना अनुभाग,

Admin/Establishment Section,

मंत्रालय/विभाग \_\_\_\_\_

Ministry/Department \_\_\_\_\_